

**अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन**  
**GRANT No. 21-DEFENCE PENSIONS**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	Charged-	25,00	15,52      -9,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original      21789,75,00	25999,75,00	34999,29,01 +8999,54,01
पूरक	Supplementary      4210,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, यद्यपि दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में 421000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 899954.01 लाख रु. (वास्तविक अधिक व्यय 8999,54,01,305 रु. था) अधिक हो गया। अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता होती है।

1. In the voted portion of the grant, although supplementary grants of Rs.421000.00 lakhs was obtained in December, 2009 and March, 2010, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.899954.01 lakhs (actual excess was Rs.8999,54,01,305). **The excess requires regularization by Voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुई:-

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"		
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits		
मू.	O.	2178975.00	2599975.00      3499929.01 +899954.01
पू.	S.	421000.00	

(I) "रक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) "नौसेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 36528.10 लाख रु. का अधिक व्यय (8773.43 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 72306.67 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "वायु सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 56050.87 लाख रु. का अधिक व्यय (21591.38 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 156155.61 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "सेना" -

(क) "पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 812840.79 लाख रु. का अधिक व्यय (332729.36 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2244090.01 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और उचंचत के अंतर्गत राशि का निपटान करने के लिए बैंकों से प्राप्त लंबित पेंशन स्क्रोलों की बुकिंग के कारण हुआ।

(ख) "छुट्टी नकदीकरण" - 2485.03 लाख रु. का अधिक व्यय (35960.64 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 90636.49 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय "रक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) "नौसेना - छुट्टी नकदीकरण" - 5435.91 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10276.57 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15712.48 लाख रु. कर दिया गया,

(I) Under "Defence" – excess occurred under the following heads:-

(A) "Navy - Pension and other Retirement Benefits" – excess of Rs.36528.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.72306.67 lakhs including supplementary grant of Rs.8773.43 lakhs);

(B) "Air Force - Pension and other Retirement Benefits" – excess of Rs.56050.87 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.156155.61 lakhs including supplementary grant of Rs.21591.38 lakhs); and

(C) "Army" –

(a) "Pension and other Retirement Benefits" – excess of Rs.812840.79 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2244090.01 lakhs including supplementary grant of Rs.332729.36 lakhs).

Excess under the above three heads was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report and booking of pending pension scrolls received from banks to clear amount under suspense.

(b) "Leave Encashment" – excess of Rs.2485.03 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.90636.49 lakhs including supplementary grant of Rs.35960.64 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report.

2. The above excess was partly offset by savings under "Defence" – under the following heads:-

(I) "Navy - Leave Encashment" – the original provision of Rs.5435.91 lakhs was augmented to Rs.15712.48 lakhs by obtaining supplementary

तथापि, जो 4707.64 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(II) “वायु सेना - छुट्टी नकदीकरण” - 8800.12 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11666.87 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 20466.99 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 3242.31 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या कम होने और पदोन्नति की वजह से पीबीओआर के निर्वहन को रद्द किए जाने और कार्मिकों के खाते में कम अर्जित अवकाश होने के कारण हुई।

grant of Rs.10276.57 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4707.64 lakhs; and

(II) “Air Force – Leave Encashment” – the original provision of Rs.8800.12 lakhs was augmented to Rs.20466.99 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11666.87 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3242.31 lakhs.

Savings under the above two heads were due to less number of retirees and cancellation of discharge of PBOR owing to promotion and less number of earned leave at credit of officials.